रा0रा0 1/विविध 69/2018 3571 (7)

**बिहार सरकार**
**स्वास्थ्य विभाग**

प्रेषक,

**शंभू शरण,**
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–27/12/2024

**विषयः– श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति कुल राशि रु0 591,77,00,000/– (रुपये पाँच सौ इक्यानवे करोड़ सतहत्तर लाख) मात्र के पुनरीक्षण के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रू0 7,09,93,03,366/–(रुपये सात अरब नौ करोड़ तिरानवे लाख तीन हजार तीन सौ छियासठ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबंध मे कहना है कि विभागीय राज्यादेश रा0–192(1) दिनाक–05.02.2019 द्वारा श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, समस्तीपुर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 मे कुल रु0 591,77,00,000/– (रुपये पॉच सौ इक्यानवे करोड सतहत्तर लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, समस्तीपुर के स्थापना हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्राश एवं समानुपातिक राज्याश मद मे 113 40+75 60 189 00 करोड की राशि उपलब्ध करा दी गयी है केन्द्राश के समानुपातिक राज्याश मद मे राशि के अभाव के कारण योजनागत कार्य को जारी रखने के उद्देश्य से Top up Fund के रूप मे राज्य योजना मद से अवशेष राशि दी जा रही है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है–

| क्र0सं0 | पत्रांक/दिनांक | राशि (रू0 में) |
|---|---|---|
| 1 | U.14017/22/2015/ME-II, दिनांक–19.02 2019 | 28,49,00,000/- |
| 2 | U 14017/22/2015/ME-II, दिनाक–19 02 2019 | 51,00,000/- |
| 3 | U.14017/22/2015/ME-II, दिनाक–19 02 2019 | 1,00,00,000/- |
| 4 | U.14017/22/2015/ME-II, दिनाक–9 05 2019 | 4,27,00,000/- |
| 5 | U.14017/22/2015/ME-II, दिनाक–9 05 2019 | 8,30,00,000/- |
| 6 | U.14017/22/2015/ME-II, दिनाक–9 05 2019 | 37,43,00,000/- |
| 7 | U.14017/22/2015/ME-II-FTS-8030201(3), दिनाक–20.10 2020 | 3,64,00,000/- |
| 8 | U.14017/22/2015/ME-II-FTS-8030201(2), दिनांक–20.10 2020 | 6,94,00,000/- |
| 9 | U.14017/22/2015/ME-II-FTS-8030201(1), दिनांक–20 10 2020 | 22,82,00,000/- |
| | कुल– | **1,13,40,00,000/-** |

3– समानुपातिक राज्यांश मद के रूप मे निर्माण एजेन्सी को आवंटित राशि का विवरणी निम्नवत् है –

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023–24 | 75,00,00,000 | सं0–383(7) दिनाक–26 12 2023 |
| 2 | 2023–24 | 60,00,000 | सं0–435(7) दिनाक–19 01 2024 |
| | **कुल योग** | 75,60,00,000 | |

4– राज्य योजना मद से Top up Fund के रूप में दी गई राशि विवरणी निम्नवत् है :–

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | राशि (रु0 मे) | आवंटनादेश स0 एव दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022–23 | 50,00,00,000 | सं0–487(7),दिनाक–20.02 2023 |
| 2 | 2022–23 | 1,15,00,00,000 | सं0–597(7) दिनांक–29.03.2023 |
| 3 | 2023–24 | 29,33,00,000 | स0–610(7) दिनाक–31 03 2023 |
| 4 | 2023–24 | 70,00,00,000 | स0–198(7) दिनांक–28 08 2023 |
| 5 | 2023–24 | 5,00,00,000 | सं0–635(7) दिनांक–14.03 2024 |
| 6 | 2023–24 | 27,90,00,000 | सं0–636(7) दिनाक–14.03.2024 |
| 7 | 2024–25 | 17,00,00,000 | सं0–137(7) दिनाक–21.08.2024 |
| 8 | 2024–25 | 30,54,00,000 | स0–227(7) दिनाक–21 10 2024 |
| | **कुल योग** | **3,44,77,00,000** | |

5— बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के पत्रांक 5512, दिनांक—23.09.2024 के द्वारा श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि रू0 7,09,93,03,366/—(रुपये सात अरब नौ करोड तिरानवे लाख तीन हजार तीन सौ छियासठ) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि रू० 7,09,93,03,366—591,77,00,000=1,18,16,03,366/—(रूपये एक अरब अठारह करोड सोलह लाख तीन हजार तीन सौ छियासठ) मात्र की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

6— उक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018—19 में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति कुल राशि रु0 591,77,00,000/— (रुपये पाँच सौ इक्यानवे करोड सतहत्तर लाख) मात्र के पुनरीक्षण के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2024—25 मे कुल रू0 7,09,93,03,366/—(रुपये सात अरब नौ करोड तिरानवे लाख तीन हजार तीन सौ छियासठ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7— उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं0—192(1) दिनांक—05.02.2019 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

8— यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक—06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक—08.04.08 एवं 3758/वि0(2), दिनाक—31.05.2017, 7111/वि०(2), दिनाक—28.07.2022 एवं पत्रांक—6439/वि०, दिनाक—28.08.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

10— राज्य योजना मद मे इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष—110—अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष—0111—मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड—20—4210011100111 अन्तर्गत विषय शीर्ष 0111—53—01—मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से की जानी है।

11— अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID---------में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

12— बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

13— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14— प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

15— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या—1/विविध—69/2018 के पृष्ठ—98 /टि0 पर प्राप्त है।

16— यह मात्र राज्यादेश है।

विश्वासभाजन

27.12.24

**(शंभू शरण)**

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—1/विविध—69/2018— 381 (7) स्वा0, पटना, दिनांक—27/12/2024

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/जिलाधिकारी, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव— सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर—सह—प्रभारी, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी—7/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी को ई—मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव